


**न्यायालय-प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद के न्यायालय के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश होशंगाबाद जिला होशंगाबाद म०प्र०
सूचना -पत्र**

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी एडवाइजरी/निर्देश क 345/आर०जी०/2020 जबलपुर दिनांक 17.03.2020 एवं एडवाइजरी दिनांक 20.03.2020 के अनुसार दिनांक 31.03.2020 तक कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण को देखते हुए केवल अत्यंत आवश्यक प्रकृति के मामलों में जैसे जमानत आवेदन और स्टेट/अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्रों की सुनवाई की जाना है। शेष समस्त प्रकरणों को उक्त अवधि में स्थगित रखे जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है जिसके पालन में आज दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक के लिये नियत समस्त व्यवहार/आपराधिक प्रकरणों को पूर्व प्रकम पर ही निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किये जा रहे हैं-

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	20.03.2020	11.04.2020
2	21.03.2020	15.04.2020
3	23.03.2020	17.04.2020
4	24.03.2020	21.04.2020
5	26.03.2020	22.04.2020
6	27.03.2020	23.04.2020
7	28.03.2020	24.04.2020
8	30.03.2020	25.04.2020
9	31.03.2020	27.04.2020


(जे०पी० सिंह)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद के
न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद जिला होशंगाबाद म०प्र०

प्रतिलिपि-

- 1 श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
- 2 अध्यक्ष जिला अभिभाषक सध होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 अधीक्षक केंद्रीय जेल होशंगाबाद की सूचनार्थ इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि वे उक्त कॉलम नम्बर 2 में वर्णित पेशी दिनांकों के वारन्ट/अभियुक्त को कॉलम नम्बर-3 में वर्णित नियत दिनांकों को न्यायालय में पेश करें।
- 4 सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय होशंगाबाद की ओर उक्त सूचना पत्र को न्यायालय की बैवसाइट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।
- 5 न्यायालय के सूचना पटल पर चरपा हेतु।


जे.पी.सिंह

प्रथम अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)